डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 14/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीएसएसपीएल/आईटीपी/मुम्बई/सीपी-III/2021-22

आदेश संख्या 14/ 2021-22

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल) के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय (सीएसएमआई) हवाईअड्डा, मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख: 03 सितम्बर, 2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 13. **प्राधिकरण के निर्णयों का सार**

बीएसएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय और पैरा		प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.6.1	प्राधिकरण बीएसएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 'सिंगल टिल' आधार पर "प्राइस कैप अप्रोच" अपनाने का निर्णय लेता है।	18
अध्याय संख्या 3	3.6.1	प्राधिकरण बीएसएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 6 के अनुसार ईंधन थ्रूपुट पूर्वानुमान मानने का निर्णय लेता है।	24
	3.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि में होने वाली ईंधन की वास्तविक बिक्री के आधार पर ईंधन थ्रूपुट (मात्रा) को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	24
अध्याय संख्या 4	4.6.1	प्राधिकरण बीएसएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 11 के अनुसार पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	29
	4.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण कार्य के दौरान तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रूअप कार्य में कोई भी विशिष्ट कैपेक्स पूंजीकरण की समय-सारणी के अनुसार पूर्ण न होने पर एआरआर/ लक्ष्य राजस्व से 1% कैपेक्स लागत पुनर्समायोजन के रूप में कम करने का निर्णय लेता है।	29
	4.6.3	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	29
अध्याय संख्या 5	5.4.1	प्राधिकरण तालिका 14 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	32
	5.4.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मूल्यह्रास को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	32
अध्याय संख्या 6	6.5.1	प्राधिकरण तालिका 17 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानने का निर्णय लेता है।	34
अध्याय संख्या 7	7.5.1	प्राधिकरण तालिका 24 में दर्शाए अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	39
	7.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को ट्रूअप करने का निर्णय करने का लेता है।	39
अध्याय संख्या 8	8.4.1	प्राधिकरण बीएसएसपीएल, मुम्बई के लिए तालिका 25 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए उचित प्रतिलाभ दर (एफआरओआर) को मानने का निर्णय लेता है।	40
अध्याय संख्या 9	9.5.1	प्राधिकरण बीएसएसपीएल, मुम्बई के लिए तालिका 28 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर के निर्धारण के लिए कराधान के प्रावधान को मानने का निर्णय लेता है।	42
	9.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय अदा किए गए वास्तविक करों के आधार पर कराधान के प्रावधान को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	42
अध्याय संख्या 10.	10.5.1	प्राधिकरण बीएसएसपीएल, मुम्बई के लिए तालिका संख्या 31 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	46
	10.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है बशर्ते कि सेवा प्रदाता की रियायत अवधि बढ़ाई गई हो।	46

अध्याय संख्या 11	11.5.1	बीएसएसपीएल, मुम्बई के लिए तालिका 34 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व (इंटो प्लेन सेवाओं से प्राप्त राजस्व) को मानना।	47
	11.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक राजस्व को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	47
अध्याय संख्या 12	12.7.1	प्राधिकरण **संलग्नक–I** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए बीएसएसपीएल, मुम्बई द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटो प्लेन सेवाओं की टैरिफ दर को मानने का निर्णय लेता है।	51

अध्याय 14. आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) बीएसएसपीएल, मुम्बई को तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अक्तूबर, 2021 से 29 अक्तूबर, 2024 तक) के लिए **संलग्नक –I** में दिए अनुसार इंटो प्लेन सेवाओं के लिए टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) संशोधित टैरिफ 01 अक्तूबर, 2021 से लगाई जाएगी।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें यथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) प्राधिकरण निर्णय लेता है कि यदि बीएसएसपीएल और एमएएफएफएफएल के बीच उप-रियायती करार 29 अक्तूबर, 2024 के बाद भी बढ़ाया जाता है तो 29 अक्तूबर, 2024 को प्रचलित टैरिफ दरें तृतीय नियंत्रण अवधि की इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि या 31 मार्च, 2026 तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

सेवामें,

श्री प्रशांत कामथ,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
बीएसएसपीएल, प्लॉट संख्या ए– **5** एवं **6**, फर्स्ट फ्लोर,
बीपीसीएल बिल्डिंग, सैक्टर **- 1** नोएडा **-201301**

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – **110 003**

2. श्री आर. के. जैन
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
सीएसएमआई हवाईअड्डा, **1**st फ्लोर, टर्मिनल **1**,
सांताक्रूज़ (पूर्व), मुम्बई- **400099.**